न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 30/2019/अपील/एल.आर.एक्ट/बांरा
दायरा दिनांकः 6.3.2019
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. जगमोहन सिंह पुत्र नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी काचरी तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)

...अपीलार्थी

बनाम

1. द स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार अन्ता जिला बांरा।

..रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री उत्पल शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 21.5.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता जिला बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 9/2016 प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट बउनवान जगमोहन सिंह बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार अन्ता जिला बांरा मे पारित निर्णय/आदेश दिनांक 18.6.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम काचरी मे हाल ख0 नं0 413 रकबा 5.10 है0, ख0 नं0 422 रकबा 0.34 है0 ख0 नं0 249 रेगा 0.06 है0 भूमि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी मे स्थित है जिसके साबिक ख0 नं0 368 मि0 रकबा 34 बीघा 4 बिस्वा तथा हाल ख0 नं0 249 रकबा 0.06 है0 भूमि के साबिक ख0 नं0 209 रकबा 16 बिस्वा नकल जमाबंदी सं0 20035–63 मे दर्ज है जो मिलान क्षेत्रफल से प्रमाणित है। प्रार्थी साबिक रकबा अनुसार मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर रकबा पूरा है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बन्दोबस्त विभाग द्वारा प्रार्थी के रिकार्ड मे गत रकबे के मुकाबले 0.10 है0 रकबा कम दर्ज कर दिया जिसका बन्दोबस्त विभाग को कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नही है। अतः सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर पूर्व रकबे अनुसार राजस्व रिकार्ड मे 5.60 है0 भूमि दर्ज की जावे तथा इसी अनुसार नक्शा ट्रेस तरमीम किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश दिनांक 18.6.18 राजस्व लोक अदालत केम्प काचरी मे तहसीलदार अन्ता से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी के गत रकबे के मुकाबले 0.10 है0 भूमि कम की गई किन्तु आस पास के नक्शे मे किसी भी ख0 नं0 मे रकबे मे वृद्धि नही होने से पूर्ति किया जाना संभव नही होना वर्णित कर प्रकरण का निस्तारण किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी का प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी सरकार की तलबी मे था किन्तु दिनांक 18.6.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प मे खारिज कर दिया। अपीलांट दिनांक 30.4.18 को न्यायालय मे उपस्थित हुआ थाा वहां उसे दिनांक 18.6.18 को लगने वाली लोक अदालतमे उपस्थित होने हेतु आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये थे किन्तु अपीलांट लोक अदालत मे उपस्थित नही हुआ लोक अदालत के प्रावधानो के अनुसार मात्र वादी एंव प्रतिवादी मे कोई समझोता या समझोता होने की संभावना के आधार पर ही वाद को डिक्री या खारिज किया जा सकता है। पक्षकारों की अनुपस्थिति मे वाद या प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना लोक अदालत की भावना के विरूद्ध है। अतः जेरअपील आदेश विधि के प्रावधानो के प्रतिकूल होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश मे 0.10 है0 रकबे की कमी होना माना है ऐसी स्थित मे कम हुई भूमि की

पूर्ति ग्राम के सिवायचक रकबे मे पूर्ति करने की आज्ञा पारित करना न्यायोचित था किन्तु ऐसा न कर न्यायालय ने निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग नही कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश मनमाने, आर्बीटेटरी रूप से पारित किया है जो काबिल खारजी है। उक्त आदेश की जानकारी अपने अधिवक्ता से दिनांक 18.8.18 को संपर्क करने पर हुई जिसकी नकल प्राप्त कर अपील पेश की गई। अतः विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील स्वीकार कर हुक्म जेरअपील दिनांक 18.6.18 अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार अन्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 18.6.18 के आधार पर अपीलांट के कमी रकबे 0.10 है0 को सिवायचक भूमि मे से पूर्ण किया जावे तथा नक्शे मे दुरूस्ती की जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्याया0 का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत केम्प मे प्रकरण रख कर अपीलांट की अनुपस्थिति मे निर्णित करने मे त्रुटि की है क्योकि लोक अदालत मे दोनो पक्षो की आपसी सहमति से ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है। सेटलमेंट विभाग द्वारा अपीलांट की संयुक्त खातेदारी की आराजी मे गत रकबे के मुकाबले 0.10 है0 रकबा मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अन्ता कम दर्ज किया गया है जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने जेरअपील आदेश मे माना है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय को अपने निहित क्षेत्राधिकार का उपयोग कर कमी रकबे की पूर्ति सिवायचक रकबे से की जाने की आज्ञा पारित करना चाहिये था। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे जेरअपील निर्णय अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है अतः प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विचार करने से पूर्व मियाद के बिन्दू का निस्तारण करना न्यायोचित है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश दिनांक 18.6.2018 को लोक अदालत केम्प काचरी मे पारित किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि केम्प मे उपस्थित नही रहा है। अतः जेरअपील निर्णय की जानकारी अधिवक्ता से दिनांक 18.8.18 को सम्पर्क करने पर होने पर नकल प्राप्त कर अपील प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय स्वयं के शपथ पत्र के साथ पेश की गई। रेस्पो0 द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया गया ना ही खण्डन मे कोई प्रत्युत्तर ही पेश किया गया ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से न्यायहित मे क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील आदेश/निर्णय दिनांक 18.6.2018 को लोक अदालत केम्प काचरी मे प्रकरण मे तहसीलदार अन्ता से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी के गत रकबे के मुकाबले 0.10 है0 भूमि कम दर्ज की गई किन्तु आस पास के नक्शे मे किसी भी ख0 नं0 मे रकबे मे वृद्धि नही होने से पूर्ति किया जाना संभव नही होना वर्णित कर प्रकरण का निस्तारण किया है। प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि ''अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 30.4.18 को उपस्थित होने पर उसके आदेशिका मे लोक अदालत केम्प 18.6.2016 मे उपस्थित होने हेतु हस्ताक्षर करवाये थे किन्तु वह लोक अदालत केम्प मे उपस्थित नही हुआ। लोक अदालत केम्प मे दोनो पक्षकारों की सहमति/राजीनामा के आधार पर ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है। पक्षकारों की अनुपस्थिति मे वाद या प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना लोक अदालत की भावना के विरूद्ध है। मुताबिक तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार अन्ता के अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18.6.2018 मे अपीलार्थी का 0.10 है0 रकबा कम दर्ज होना माना है ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट खारिज नही कर अपीलार्थी के कमी रकबे की पूति कर राजस्व रिकार्ड व नक्शे मे दुरूस्ती करने की आज्ञा पारित करना न्यायोचित था''। अधीनस्थ न्यायलय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख राजस्व रिकार्ड, मिलान क्षेत्रफल तथा रिपोर्ट तहसीलदार के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि गत रकबे के मुकाबले अपीलांट का 0.10 है0 रकबा सेटलमेंट विभाग द्वारा कम दर्ज किया गया है जबकि मौके पर रकबा पूरा है जिसकी पुष्टि

सदस्य रा० अपील०
कोटा

अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य आदेश/निर्णय दिनांक 18.6.2018 से भी होती है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय को तहसीलदार अन्ता से मुकम्मिल तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर अपने निहित क्षेत्राधिकार का उपयोग कर कमी रकबे की पूर्ति कर राजस्व रिकार्ड व नक्शे मे दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित था। जहॉ तक प्रकरण राजस्व केम्प/लोक अदालत मे निर्णित करने का प्रश्न है लोक अदालत मे पक्षकारान की आपसी सहमति/राजीनामा के आधार पर ही प्रकरण का निस्तारण किये जाने का प्रावधन निहित है। अधीनस्थ न्यायालय के जैरअपील आदेश मे उक्त तथ्यों का अभाव रहा है। अतः उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य निर्णय दिनांक 18.6.2018 को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश दिनांक 18.6.18 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये तहसीलदार अन्ता से प्रकरण मे मुकम्मिल तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करते हुये सेटलमेंट से पूर्व व बाद के राजस्व रिकार्ड, जमाबंदी व नक्शे तथा मिलान क्षेत्रफल इत्यादि का समुचित परीक्षण कर रकबा बरारी करते हुये पुनः प्रकरण मे विधिसम्मत व तथ्यात्मक आदेश पारित करें।

7 निर्णय आज दिनांक 21.5..2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
कोटा